कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 02 /12–1 दिनांक 01 / 07/2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर व डांडी होते हुये नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक सड़क के किनारे–किनारे ओ0एफ0सी0 केबल लाईन विछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या–(**FP/UK/OFC/38108/2019**)

सन्दर्भ :– दिनांक 15–06–2020 से इंगित कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में ऑनलाईन आपत्ति इंगित की गयी है कि "DFO may clarify, whether this RoW --right of way-- has approved under FC clearance at the time of construction." के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना का निर्माण, प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृति ROW (Right of way) के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर रानीपोखरी के किनारे–किनारे पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना का निर्माण जिस मोटर मार्ग के किनारे किया जाना है, को प्रदान की गयी स्वीकृति एवं ROW (Right of way) का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग का विवरण जिसके किनारे–किनारे प्रश्नगत परियाजना का कार्य प्रस्तावित है।				अभियुक्ति
	मोटर मार्ग का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	स्वीकृति शासनादेश व दिनांक	स्वीकृति प्राप्त मार्गाधिकारी की चौड़ाई मी0 में	
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद देहरादून एवं टिहरी गढवाल के अर्न्तत नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटरमार्ग	14.85	जी0आई01185/7–1–2006–600(891)/2004 दिनांक 08–09–2006	9.00	विषयगत परियोजना का निर्माण स्वीकृत चौड़ाई–9.00 मी0 के अन्तर्गत ही मोटर मार्ग के किनारे किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इंगित कमियों के निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु मय संलग्नको के प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:– 02 / दिनांकित

प्रतिलिपि :– महाप्रबन्धक, दूरसंचार परियोजना दूरभाष केन्द्र परिसर पटेल नगर देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी शिवपुरी राजि को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(47)

संख्याः–जी0आई0:– 1185 /7–1–2006–600(891)/2004.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग   देहरादून : दिनांक 08, सितम्बर, 2006.

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.85 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–625/1जी–881 (टिहरी) दिनांक 29–08–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.85 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/120/2004/एफ.सी./776 दिनांक 17–08–2006 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 29.7 हे0 अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।

1533
11-1
16/9/06

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तरांचल शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः–जी0आई0:– 1185 /7–1–2006–600(891)/2004 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

R.M. 1533/11-1 Dt 19/9/06

प्रतिलिपि वनक्षेत्राधिकारी शिवपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कृपया, इसे हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी

लैण्ड शैड्यूल

जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर – रानीपोखरी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए किमी0 1 से किमी0 15 तक तथा किमी0 16 तथा किमी0 17 के आंशिक भाग हेतु आरक्षित वन भूमि का विवरण।

क्रम स.	वन प्रभाग	ब्लाक	कक्ष स.	कार्य का विवरण	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्ग मी.	क्षेत्रफल हेक्टेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नरेन्द्रनगर	चंदनावा	1से 4	रानीपोखरी – नरेन्द्रनगर मो.मा	15500 मीटर	9.00 मीटर	139500	13.95
योग							139500	13.95

प्रभावित आरक्षित्त वन भूमि का क्षेत्रफल – 139500.00 वर्ग मीटर
– 13.95 हेक्टेयर

कनिष्ठ अभियंता
नि0खं0लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

सहायक अभियंता
नि0खं0लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

रा0जि0 अधिकारी
शिवपुरी रेंज
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
टिहरी गढ़वाल